# न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी श्री भँवर लाल मेहरा, आई.ए.एस.

अपील संख्या : 20/2017 शस्त्र अधिनियम्

अनवानी :— भूपेश कुमार पुत्र स्व. ओम प्रकाश जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 9 पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ

——— अपीलान्ट

—— बनाम ——

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक

——— रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— श्री नंदकिशोर मारू अभिभाषक अपीलांट

श्री गजेन्द्रसिंह सहायक लोक अभियोजक, राज्य पक्ष की ओर से।

## निर्णय

दिनांक : 17.08.2021

1. यह अपील शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के आदेश दिनांक 13.11.2017, जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया गया, के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।
2. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपने पिता स्व. ओम प्रकाश के नाम से शस्त्र अनुज्ञा पत्र सं. 0554/2010 (पुराना नं. 2/74) डीएम गंगानगर पर दर्ज राईफल नं. 2893 प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने नाम से नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ने आवेदन पत्र पर There is no permission of Will टिप्पणी करते हुए अपीलांट का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

3. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब कर प्राप्त किया गया तथा बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट श्री नंद किशोर मारू का मुख्य कथन है कि जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2017 खिलाफ कानून एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने तथा पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा तौर पर पारित किया जाने के कारण निरस्तनीय है। अपीलार्थी के पिता स्व. श्री ओम प्रकाश ने अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयत अपीलांट के पक्ष में लिखी थी, जिसमें उनके नाम की राईफल अपीलांट को दी गई है। अपीलांट उक्त राईफल को उत्तराधिकार में प्राप्त करना चाहता है। इसलिए अपीलांट ने अपने नाम से लाईसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया था। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ने आवेदन पत्र पर ही एक लाईन में आदेश जारी कर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया। अपीलांट को अपनी जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञा पत्र की जरूरत है। अपीलांट के विरूद्ध किसी प्रकार का आपराधिक प्रकरण कहीं पर दर्ज नहीं हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ ने बिना किसी पुलिस जांच व नियमों की अनुपालना किये तथा आर्म्स एक्ट में दिये प्रावधानों को दरकिनार करते हुए अपीलाधीन आदेश देकर आवेदन पत्र खारिज किया है। अपीलांट अपने पिता की एकमात्र पुत्र संतान है और वसीयत के आधार पर उक्त शस्त्र प्राप्त करने का अधिकारी है। आर्म्स एक्ट की धारा 17(3) की उप धाराओं ए. बी.सी.डी.ई. तथा धारा 17 के अन्य प्रावधानों की कोई अवहेलना नहीं की। अतः उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक श्री गंजेन्द्रसिंह ने राज्य पक्ष की ओर से बहस करते हुए कथन किया कि अपीलांट ने जान–माल का खतरा होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलांट ने अपने पिता स्व.ओम प्रकाश के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज शस्त्र राईफल हासिल करने के उद्देश्य से अपने नाम से लाईसेंस लेने के लिये नवीन आवेदन किया है, जबकि लाईसेंस एवं उस पर दर्ज शस्त्र उत्तराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे ।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

6. हमने उभय पक्ष की वहस को मध्यनजर रखते हुए उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया । प्रकरण में न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनाक 13.11.2017 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है । विद्वान अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक प्रकरण में There is no permission of Will की टिप्पणी करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2017 से अपीलांट का शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का आवेदन पत्र निरस्त किया, जो खिलाफ कानून है, अपीलार्थी ने शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन स्वंय की सुरक्षा हेतु किया था । प्रकरण में हम विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त कथनों से सहमत हैं कि अपीलांट ने अपने पिता स्व.ओमप्रकाश के नाम के शस्त्र अनुज्ञा पत्र पर दर्ज राईफल को हासिल करने के उद्देश्य से उक्त लाईसेंस के एवज में अपने नाम से नया शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष आवेदन किया है, किन्तु लाईसेंस एवं उस पर दर्ज शस्त्र उत्तराधिकार में दिये जाने की वस्तु नहीं है। अपीलान्ट द्वारा नवीन शस्त्र लाइसेंस प्राप्त करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के समक्ष दिनांक 15.2.17 को प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र में अपना आढत का कारोबार होना बताया है । प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा उचित ही खारिज किया गया है, जिसमें हम किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं समझते हैं। विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने भी हमारे समक्ष कोई नवीन साक्ष्य–सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिस पर गौर किया जा सके।

7. उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.11.2017 यथावत रखते हुए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है ।

8. तद्अनुसार अपील अपीलान्ट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो । आदेश आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भँवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर